NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 23-11-2026

विषय सूची

कौशल विकास एवं राष्ट्र निर्माण में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) की भूमिका

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में समावेशन संबंधी त्रुटियां

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की प्राप्ति में विद्यमान अंतरालों का समापन

भारत का वस्तु निर्यात

संक्षिप्त समाचार

- सत्रावसान
- शेनझेन घोषणा
- राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान
- रीमान परिकल्पना
- भारत द्वारा लिथियम-आयन बैटरी के ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध
- वायुमंडलीय कार्बनिक नाइट्रोजन

कौशल विकास एवं राष्ट्र निर्माण में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) की भूमिका

संदर्भ

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक डिग्रियों की तुलना में व्यावहारिक कौशल के महत्त्व पर बल दिया तथा भारत के कुशल कार्यबल को सशक्त बनाने में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) की भूमिका को रेखांकित किया।

कौशल विकास की भूमिका

- जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग: भारत की 54% से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है तथा 62% से अधिक जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग (15–59 वर्ष) में आती है।
  - इस अवसर का लाभ उठाने और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यबल तैयार करने के लिए लक्षित कौशल विकास अत्यंत आवश्यक है।
- **वैश्विक प्रतिभा की मांग को पूरा करना:** संभावना है कि वर्ष 2030 तक भारत में 4.5 करोड़ कुशल पेशेवरों का अधिशेष उपलब्ध होगा, जबकि इसी अवधि में वैश्विक स्तर पर श्रमबल की कमी लगभग 8.5 करोड़ तक पहुँचने की संभावना है।
  - अतः कौशल विकास के लिए जीवन-चक्र आधारित दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है।
- **आर्थिक विकास को गति प्रदान करना:** कौशल एवं ज्ञान आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के मूलभूत प्रेरक बने हुए हैं।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs)

- आईटीआई व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जो विद्यार्थियों को विभिन्न इंजीनियरिंग एवं गैर-इंजीनियरिंग व्यवसायों में तकनीकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- **नोडल मंत्रालय:** कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT)।
- **उद्देश्य:** व्यवसाय-विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करके तथा रोजगारपरकता में सुधार लाकर उद्योगों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना।
- **प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम:**
  - **शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS):** इसके अंतर्गत आईटीआई के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों में दीर्घकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
  - **शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (CITS):** इसका उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए योग्य अनुदेशकों का विकास करना है।
  - **लचीली समझौता ज्ञापन योजना :** इसके अंतर्गत उद्योगों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के बीच साझेदारी के माध्यम से उद्योग-आधारित प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाता है।

कौशल विकास को सुदृढ़ करने हेतु प्रमुख पहलें

- **कौशल भारत मिशन, 2015:** इसका उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, पुनः कौशल प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन प्रदान करना है।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** इसके अंतर्गत देशभर के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। साथ ही, पूर्व अर्जित कौशल की मान्यता (RPL) के माध्यम से कौशल उन्नयन एवं पुनः कौशल प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- **राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS):** इसका उद्देश्य प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुता प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना है।
- **जन शिक्षण संस्थान (JSS):** इसके अंतर्गत विशेष रूप से निरक्षर, नवसाक्षर एवं विद्यालय छोड़ चुके व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें वंचित एवं कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020:** यह व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने, मुख्यधारा की शिक्षा में कौशल को एकीकृत करने तथा शैक्षणिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के बीच विद्यमान विभाजन को कम करने पर बल देती है।
- **प्रधानमंत्री कौशल एवं रोजगारपरकता परिवर्तन योजना के माध्यम से उन्नत आईटीआई (PM-SETU):** इस योजना का उद्देश्य उद्योगों के साथ साझेदारी, बेहतर आधारभूत संरचना, अद्यतन पाठ्यक्रम तथा उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण के माध्यम से आईटीआई का आधुनिकीकरण करना है।



भारत के कौशल विकास पारितंत्र की चुनौतियाँ

- **कौशल असंगति :** प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायः उद्योगों की बदलती कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते हैं।
- **पुरानी आधारभूत संरचना :** अनेक आईटीआई में अभी भी आधुनिक मशीनों, प्रयोगशालाओं तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी बनी हुई है।
- **उद्योगों की अपर्याप्त भागीदारी :** प्रशिक्षण संस्थानों एवं नियोक्ताओं के बीच सीमित सहयोग के कारण विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव और रोजगार के अवसर पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं हो पाते हैं।
- **सामाजिक रूढ़िवादिता :** व्यावसायिक शिक्षा को प्रायः पारंपरिक विश्वविद्यालयी शिक्षा से निम्नतर माना जाता है, जिसके कारण विद्यार्थी तकनीकी व्यवसायों को अपनाने से हतोत्साहित होते हैं।
- **असमान पहुँच :** ग्रामीण क्षेत्रों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- **पाठ्यक्रमों की नियमित समीक्षा:** आईटीआई के पाठ्यक्रमों की उद्योगों के साथ मिलकर समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि प्रशिक्षण उभरती प्रौद्योगिकियों एवं बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
- **महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना:** सुरक्षित आधारभूत संरचना, लचीली प्रशिक्षण व्यवस्था तथा उभरते तकनीकी व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर आईटीआई तक उनकी पहुँच को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- **व्यावसायिक प्रमाणपत्रों की मान्यता एवं गतिशीलता:** राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे के अनुरूप व्यावसायिक प्रमाणपत्रों की मान्यता तथा उनकी विभिन्न क्षेत्रों में स्वीकार्यता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश तभी विकासात्मक लाभ में परिवर्तित हो सकता है, जब युवा जनसंख्या को प्रासंगिक कौशल एवं उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ।
- कुशल कार्यबल के निर्माण, औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने तथा विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आईटीआई को सुदृढ़ बनाना और व्यावसायिक कार्यों की गरिमा एवं महत्त्व को मान्यता देना आवश्यक है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)

- **स्थापना:** NSDC की स्थापना वर्ष 2008 में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (वर्तमान में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अंतर्गत एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई थी।
- **प्रकृति:** यह भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के अंतर्गत कार्यरत एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) आधारित संस्था है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य बड़े स्तर पर गुणवत्तापूर्ण एवं लाभकारी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित करके कौशल विकास को बढ़ावा देना है।

स्रोत: TH

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में समावेशन संबंधी त्रुटियां

संदर्भ

- केंद्र सरकार द्वारा कराए गए एक मूल्यांकन अध्ययन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लाभार्थियों में 13.2% समावेशन त्रुटि पाई गई है।

परिचय

- **समावेशन त्रुटि :** यह ऐसी स्थिति है, जब निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले परिवारों को लाभार्थियों की सूची में शामिल कर लिया जाता है और वे रियायती खाद्यान्न प्राप्त करते रहते हैं।
  - यह पात्र लाभार्थियों की पहचान एवं सत्यापन प्रक्रिया में विद्यमान कमियों को दर्शाती है।
- **अपवर्जन त्रुटि :** यह ऐसी स्थिति है, जब पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वे खाद्य सुरक्षा से संबंधित अपने वैधानिक लाभों से वंचित रह जाते हैं।

Ration overreach?

State	Beneficiaries	Error (%)*
High Inclusion Error		
West Bengal	6 crore	39.5
Tamil Nadu	3.63 crore	38.7
Bihar	8.14 crore	25.5
Odisha	3.21crore	22.9
Punjab	1.36 crore	20.6
Maharashtra	6.54 crore	20.3
Low Inclusion Error		
Madhya Pradesh	5.19 crore	0.5
Rajasthan	4.46 crore	1.8
Uttar Pradesh	14.73 crore	6

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

- NFSA का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की 75% तक तथा शहरी क्षेत्रों की 50% तक जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। जनगणना 2011 के अनुसार, यह लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों के बराबर है।
- इसका उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से किफायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- पात्र परिवारों को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है:
  - **अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के परिवार:**
    - इसमें समाज के अत्यंत गरीब एवं निर्धनतम परिवार शामिल होते हैं।
    - प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है।
  - **प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH):** इन परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है।

लाभार्थी कौन हैं?

- **अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के परिवार:** इनका चयन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इसमें समाज के निर्धनतम परिवारों को शामिल किया जाता है। पात्र परिवारों की श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं:
  - ऐसे परिवार जिनका मुखिया विधवा, असाध्य रूप से बीमार, दिव्यांग अथवा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति हो तथा जिनके पास आजीविका का कोई सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहयोग उपलब्ध न हो।
  - विधवा, असाध्य रूप से बीमार, दिव्यांग, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति तथा ऐसे अविवाहित पुरुष एवं महिलाएँ, जिन्हें परिवार या समाज से कोई सहयोग प्राप्त न हो तथा जिनके पास आजीविका का कोई सुनिश्चित साधन न हो।
  - सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) के परिवार।
  - भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर एवं शिल्पकार, झुग्गी-बस्ती में रहने वाले परिवार तथा असंगठित क्षेत्र में दैनिक आजीविका अर्जित करने वाले व्यक्ति एवं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के अन्य समान श्रेणी के परिवार।
  - HIV संक्रमित व्यक्तियों के सभी पात्र गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवार।
- **प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH):** इन परिवारों का चयन राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा अपने निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के साथ एकीकरण

- **वर्ष 2020:** कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया गया।
- **जनवरी 2023:** सरकार ने PMGKAY का NFSA के साथ एकीकरण कर दिया तथा NFSA के अंतर्गत नियमित रूप से मिलने वाले खाद्यान्न को भी निःशुल्क कर दिया।
- **नवंबर 2023:** इस निःशुल्क खाद्यान्न योजना को पाँच वर्षों (जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक) के लिए विस्तारित कर दिया गया।

लाभार्थियों की पहचान में चुनौतियाँ

- **पुराने लाभार्थी डेटाबेस :** परिवारों की आय, रोजगार एवं सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों का राशन कार्ड अभिलेखों में समय पर अद्यतन नहीं हो पाता है।
- **पात्रता मानदंडों में विविधता :** विभिन्न राज्यों में अपवर्जन एवं समावेशन के अलग-अलग मानदंड होने के कारण लाभार्थियों का एकसमान आकलन करना कठिन हो जाता है।
- **पहचान संबंधी कमियाँ :** कमजोर सत्यापन तंत्र के कारण अपेक्षाकृत संपन्न परिवार भी योजनाओं का लाभ प्राप्त करते रह सकते हैं।
- **डिजिटल अपवर्जन :** आधार प्रमाणीकरण एवं बायोमेट्रिक सत्यापन पर अत्यधिक निर्भरता के कारण प्रमाणीकरण में विफलता, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या अथवा अभिलेखों में त्रुटियों के चलते वास्तविक पात्र लाभार्थी भी अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं।
- **गतिशील गरीबी :** परिवार की आय में अस्थायी वृद्धि का अर्थ यह नहीं है कि उसे स्थायी आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो गई है। ऐसे में कठोर अपवर्जन मानदंड पात्र परिवारों को योजनाओं से बाहर कर सकते हैं।

आगे की राह

- **समावेशन एवं अपवर्जन त्रुटियों के बीच संतुलन:** एक प्रभावी खाद्य सुरक्षा प्रणाली में अपात्र लाभार्थियों को शामिल होने से रोकने के साथ-साथ वास्तविक पात्र लाभार्थियों को अपवर्जन से बचाना भी आवश्यक है।

- **लाभार्थी डेटाबेस का नियमित अद्यतन:** राज्यों को सत्यापित सामाजिक-आर्थिक जानकारी, आय एवं परिसंपत्तियों से संबंधित अभिलेखों के आधार पर लाभार्थियों के डेटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन करना चाहिए।
- **स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी:** ग्राम सभाओं, स्थानीय निकायों एवं सामुदायिक संस्थाओं को अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने तथा पात्र परिवारों को सूची से बाहर होने से बचाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।
- **शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करना:** परिवारों को राशन कार्ड से अनुचित तरीके से नाम हटाए जाने अथवा खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित किए जाने के विरुद्ध शिकायत एवं अपील करने के लिए सुलभ तंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

स्रोत: IE

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की प्राप्ति में विद्यमान अंतरालों का समापन

संदर्भ

- कठोर पात्रता मानदंडों तथा डिजिटल लक्ष्यों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित किए जाने की हालिया घटनाएँ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के क्रियान्वयन में विद्यमान कमियों को उजागर करती हैं।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC)

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है, जिसमें सभी व्यक्तियों एवं समुदायों को आवश्यक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हों तथा इन सेवाओं का लाभ उठाने के कारण उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े।
- UHC का आधार 'किसी को भी पीछे न छोड़ना' का दर्शन है, जिसमें विशेष रूप से कमजोर एवं हाशिए पर स्थित समुदायों पर बल दिया जाता है।
- **UHC के प्रमुख आयाम :**
  - **पहुँच में समानता :** आय, लिंग, आयु अथवा सामाजिक स्थिति के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
  - **स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता:** स्वास्थ्य सेवाएँ सुरक्षित, प्रभावी तथा लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए।
  - **वित्तीय संरक्षण :** आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते समय व्यक्तियों को वित्तीय संकट का सामना नहीं करना चाहिए।

स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित होने के पीछे संरचनात्मक समस्याएँ

- **संख्यात्मक संकेतकों पर अत्यधिक बल:** ABHA ID निर्माण, टीकाकरण लक्ष्यों आदि जैसे संख्यात्मक संकेतकों पर अत्यधिक ध्यान देने से रोगी-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा के स्थान पर केवल निर्धारित लक्ष्यों एवं औपचारिकताओं की पूर्ति पर आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है।
- **डिजिटल विभाजन :** प्रवासी श्रमिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा सीमित डिजिटल साक्षरता वाले लोगों को डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों का उपयोग करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
- **एकसमान पात्रता शर्तें:** कठोर एवं एकसमान पात्रता मानदंड विशेष परिस्थितियों, स्थानीय वास्तविकताओं तथा कमजोर वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखने में विफल रहते हैं।
- **कमजोर शिकायत निवारण व्यवस्था :** स्वास्थ्य सेवाओं से अनुचित रूप से वंचित किए जाने के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने हेतु सुलभ तंत्र का अभाव लाभार्थियों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने से वंचित कर सकता है।
- **पात्रता शर्तों एवं कानूनी प्रावधानों की अपर्याप्त समझ:** लाभार्थियों तथा अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मियों में पात्रता शर्तों एवं कानूनी प्रावधानों को लेकर अस्पष्टता लोगों को संस्थागत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने से हतोत्साहित कर सकती है।

संवैधानिक एवं नीतिगत ढाँचा

- **अनुच्छेद 21:** सर्वोच्च न्यायालय ने *परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1989)* तथा *पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1996)* जैसे मामलों में समय पर आपातकालीन चिकित्सा सहायता एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना है।
- **अनुच्छेद 14:** यह विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच में मनमाने भेदभाव को रोकने की अपेक्षा करता है।
- **अनुच्छेद 47:** यह राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने तथा पोषण स्तर एवं जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का निर्देश देता है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 :** इसका उद्देश्य बिना किसी वित्तीय कठिनाई के सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच उपलब्ध कराना है।
- **सतत विकास लक्ष्य-3 (SDG 3):** इसका उद्देश्य सभी आयु वर्गों के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना तथा कल्याण को प्रोत्साहित करना है। इसमें वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की प्राप्ति भी शामिल है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हेतु सरकारी पहलें

- **आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY):** इसके अंतर्गत द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की अस्पताल-आधारित चिकित्सा के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है।
  - 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक आय की स्थिति अथवा सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना स्वास्थ्य कवरेज के लिए पात्र हैं।
- **आयुष्मान आरोग्य मंदिर :** ये आयुष्मान भारत के दूसरे प्रमुख स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं तथा लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को अधिक सुलभ बनाते हैं।
- **सस्ती दवाएँ एवं नैदानिक सेवाएँ :**
  - प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।
  - अमृत (AMRIT) फार्मेसी आवश्यक दवाओं एवं चिकित्सा प्रत्यारोपण उपकरणों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराती हैं।
- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM):** इसका उद्देश्य ABHA ID तथा परस्पर उपयोग योग्य डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेखों के माध्यम से एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA):** वर्ष 2016 में प्रारंभ इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, सुनिश्चित एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल उपलब्ध कराई जाती है।
- **स्वस्थ भारत पोर्टल :** यह एक एकीकृत एकल मंच है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को एक ही डिजिटल इंटरफेस पर उपलब्ध कराना है।
- **ई-संजीवनी :** यह दूरस्थ परामर्श की सुविधा प्रदान करती है तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों तक पहुँच को बेहतर बनाती है।
- **गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं उपचार :** हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर एवं स्ट्रोक जैसे गैर-संचारी रोग (NCDs) भारत में होने वाली कुल मृत्यु के लगभग 60% के लिए उत्तरदायी हैं।
  - इस चुनौती से निपटने के लिए गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NCD) के माध्यम से शीघ्र पहचान, निदान एवं उपचार संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है।
- **रोग नियंत्रण एवं लक्षित कार्यक्रम :** राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम ने रोग की पहचान, उपचार कवरेज में सुधार तथा टीबी की घटनाओं में कमी लाने में योगदान दिया है।
  - राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2047 तक सिकल सेल रोग की जाँच एवं उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करना है।
  - प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम निःशुल्क डायलिसिस सेवाएँ प्रदान करता है, जिससे लोगों के जेब से होने वाले स्वास्थ्य व्यय में कमी आती है।

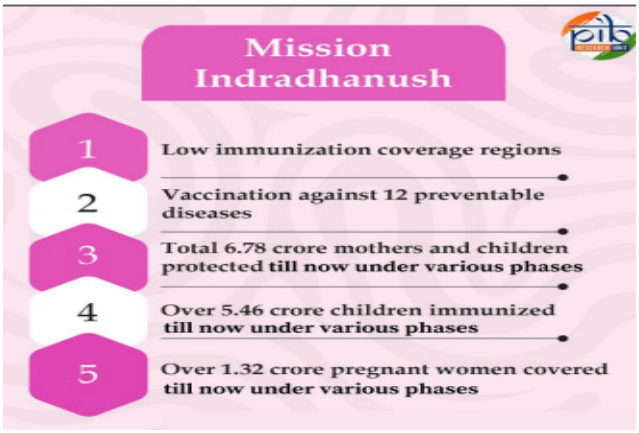

प्रशासनिक प्रतिबंध सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं को किस प्रकार कमजोर करते हैं?

- **दस्तावेजों के अभाव में वंचना :** आधार कार्ड के अभाव में प्रवासी महिलाओं को मातृत्व संबंधी लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप वे गलतफहमी के कारण स्वयं को संस्थागत प्रसव के लिए अपात्र भी मान सकती हैं।
- **कानूनी कार्रवाई का भय :** नाबालिग गर्भवती लड़कियाँ अपने पति अथवा साथी के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई होने के भय से संस्थागत प्रसव कराने से बच सकती हैं।
- **आयु-आधारित कठोर पात्रता :** सरकार का HPV टीकाकरण अभियान 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को लक्षित करता है।
  - परिणामस्वरूप, निर्धारित आयु में टीकाकरण से वंचित रह गई 15–16 वर्ष की लड़कियाँ अभियान के दायरे से बाहर हो सकती हैं, जबकि अधिक आयु में भी HPV टीकाकरण से उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है।
- **लचीलेपन का अभाव रखने वाले टीकाकरण प्रोटोकॉल :** जिन नवजात शिशुओं को जन्म के 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस-B टीके की निर्धारित जन्म खुराक नहीं मिल पाती, उन्हें बाद में टीकाकरण से वंचित किया जा सकता है, जबकि विलंब से टीका दिए जाने पर भी लाभ प्राप्त हो सकते हैं।
- **डिजिटल अनुपालन का अत्यधिक दबाव :** निर्धारित समय-सीमा के अंदर आँकड़े अपलोड करने तथा संख्यात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर अत्यधिक बल देने से स्वास्थ्यकर्मियों का ध्यान वास्तविक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के बजाय रिपोर्टिंग संबंधी औपचारिकताओं की पूर्ति पर केंद्रित हो जाता है।

आगे की राह

- **उचित अपवाद एवं संदर्भण प्रक्रियाओं की स्थापना:** यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अपवाद एवं रेफरल तंत्र विकसित किए जाने चाहिए कि समय-सीमा चूकने, दस्तावेज अधूरे होने अथवा विशेष परिस्थितियों के कारण पात्र व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न किया जाए।
- **अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मियों का प्रशिक्षण:** मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ASHA), सहायक नर्स दाइयों (ANM) तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को कमजोर वर्गों के लाभार्थियों के साथ संवेदनशील एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रशासनिक नियम उपचार प्राप्त करने में बाधा न बनें।
- **सुलभ शिकायत निवारण तंत्र का विकास:** स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित किए जाने की घटनाओं की शिकायत दर्ज कराने हेतु सुलभ माध्यम विकसित किए जाने चाहिए तथा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

निष्कर्षात्मक टिप्पणी

- स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण प्रशासनिक नियमों एवं संख्यात्मक लक्ष्यों के अनुपालन को अपने आप में अंतिम उद्देश्य मानने के बजाय रोगियों की आवश्यकताओं एवं कल्याण पर केंद्रित होना चाहिए।
- 'या तो प्रत्येक व्यक्ति महत्त्वपूर्ण है अथवा कोई भी महत्त्वपूर्ण नहीं है' का सिद्धांत भारत की उस कार्यनीति का मार्गदर्शक होना चाहिए, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की प्राप्ति तथा यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे।

स्रोत: HT

भारत का वस्तु निर्यात

समाचारों में

- अप्रैल से सितंबर 2026 (वित्त वर्ष 2026–27 की प्रथम छमाही) के दौरान भारत का वस्तु निर्यात 18.5% बढ़कर 259.89 अरब डॉलर हो गया, जिसमें सभी प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई। अफ्रीका (44%) एवं एशिया (21%) ने इस विस्तार में अग्रणी भूमिका निभाई।

वित्त वर्ष 2026–27 की प्रथम छमाही में भारत के निर्यात प्रदर्शन का विश्लेषण

- **समग्र व्यापार :** वस्तुओं का निर्यात 259.89 अरब डॉलर तथा सेवाओं का निर्यात अनुमानतः 216.31 अरब डॉलर तक पहुँच गया। इस प्रकार कुल निर्यात 13.8% की वृद्धि के साथ 476.20 अरब डॉलर हो गया।
- **व्यापार घाटा :** आयात में निर्यात की तुलना में अधिक वृद्धि होने के कारण वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर 177.64 अरब डॉलर हो गया। सेवाओं के व्यापार में 102.71 अरब डॉलर के अधिशेष ने इस घाटे के एक बड़े हिस्से की भरपाई की, किंतु इसके बावजूद समग्र व्यापार घाटा बढ़कर 74.93 अरब डॉलर हो गया।
- **सितंबर में निर्यात में तीव्र वृद्धि :** सितंबर में निर्यात 23% बढ़कर 44.40 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 70% तथा इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में 21% की वृद्धि दर्ज की गई।

प्रमुख रुझान

- **इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र एक नए विकास इंजन के रूप में :** इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में एशिया के लिए 91% तथा यूरोप के लिए 52% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, अमेरिका महाद्वीप के देशों को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 15.35 अरब डॉलर तक पहुँच गया।
  - यह मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना की सफलता को दर्शाता है। वर्ष 2025 में स्मार्टफोन भारत की सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी बन गए।
- **अफ्रीका सबसे तीव्र गति से बढ़ता निर्यात बाजार :** अफ्रीका को भारत के कुल निर्यात में पेट्रोलियम उत्पादों की हिस्सेदारी लगभग 38% रही। भारत अफ्रीकी देशों की ईंधन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक प्रमुख तेल शोधन केंद्र के रूप में उभर रहा है।
  - तंजानिया (121%) एवं केन्या (101%) को निर्यात में वृद्धि भारत और अफ्रीका के बीच दक्षिण-दक्षिण व्यापारिक संबंधों के बेहतर होने को दर्शाती है।
- **टैरिफ के बावजूद अमेरिका के साथ व्यापारिक लचीलापन:** फरवरी 2026 के अंतरिम समझौते के अंतर्गत 18% टैरिफ लागू होने के बावजूद अमेरिका को भारत के निर्यात में 11% की वृद्धि दर्ज की गई।
- **एशियाई मूल्य श्रृंखलाओं में बढ़ती भागीदारी :** सिंगापुर (103%) एवं मलेशिया (83%) को निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि भारत की आसियान देशों की इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखलाओं में बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
- **इंजीनियरिंग वस्तुओं का बढ़ता महत्त्व :** इंजीनियरिंग वस्तुएँ एशिया, अमेरिका महाद्वीप तथा यूरोप को भारत की सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी बनी हुई हैं। यह देश के विस्तारित होते विनिर्माण आधार का संकेत है।

महत्त्व

- **निर्यात बाजारों का विविधीकरण:** 24 से अधिक बाजारों में निर्यात वृद्धि से अमेरिका एवं यूरोपीय संघ पर निर्भरता कम करने

में सहायता मिलती है। यह वर्ष 2025 के टैरिफ संबंधी आघात से प्राप्त एक महत्त्वपूर्ण सीख है।

- **विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार का संकेत :** इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि दर्शाती है कि 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत निर्मित उत्पाद वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं।
- **रणनीतिक आर्थिक पहुँच का विस्तार :** अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका को निर्यात में वृद्धि भारत की वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ साझेदारी को सुदृढ़ करती है।
- **भारतीय रुपये को समर्थन :** निर्यात में वृद्धि चालू खाते पर दबाव कम करने तथा रुपये को स्थिरता प्रदान करने में सहायक होती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 में रुपये का मूल्य रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गया था।

प्रमुख चिंताएँ

- **व्यापार घाटे में वृद्धि :** तेल, सोना तथा इलेक्ट्रॉनिक घटकों के आयात के कारण आयात में निर्यात की तुलना में अधिक वृद्धि हुई, जिससे व्यापार घाटा बढ़ गया।
- **कम घरेलू मूल्य संवर्धन :** भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात चीन से आयातित घटकों पर निर्भर है। परिणामस्वरूप, निर्यात से प्राप्त शुद्ध विदेशी मुद्रा लाभ, निर्यात के सकल आँकड़ों की तुलना में कम रहता है।
- **पेट्रोलियम निर्यात में मूल्य प्रभाव :** पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि से पेट्रोलियम निर्यात का मूल्य बढ़ा। यदि भविष्य में कीमतों में गिरावट आती है, तो निर्यात वृद्धि की यह प्रवृत्ति सतत नहीं रह सकती।
- **वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी का स्थिर रहना :** वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 1.7% के आसपास बनी हुई है।
- **संरक्षणवाद में वृद्धि :** अमेरिका के टैरिफ, यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) तथा गुणवत्ता मानक निर्यातकों की अनुपालन लागत बढ़ा रहे हैं। इसका विशेष प्रभाव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर पड़ता है।
- **उच्च लॉजिस्टिक्स लागत :** भारत में लॉजिस्टिक्स लागत चीन एवं वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अधिक है, जिससे भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।

सरकारी पहलें

- **निर्यात संवर्धन मिशन, बजट 2025–26:** यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के निर्यातकों को ऋण सुविधा, बाजार तक पहुँच तथा नियामकीय अनुपालन संबंधी सहायता प्रदान करता है।
- **विदेश व्यापार नीति, 2023 :** इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसमें ई-कॉमर्स निर्यात तथा 'निर्यात केंद्र के रूप में जिले' की अवधारणा पर विशेष बल दिया गया है।
- **मुक्त व्यापार समझौते (FTAs):** भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA), भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA), यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) तथा ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) भारतीय निर्यातकों के लिए शुल्क-मुक्त बाजार पहुँच का विस्तार करते हैं।
- **RoDTEP एवं RoSCTL योजनाएँ:** ये निर्यातित वस्तुओं पर अंतर्निहित करों एवं शुल्कों की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करती हैं।
- **पीएम गतिशक्ति एवं राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति :** इनका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना तथा परिवहन एवं आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार करना है।

आगे की राह

- **मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना :** घटक विनिर्माण के लिए PLI जैसी योजनाओं के माध्यम से केवल उत्पादों के संयोजन पर निर्भरता कम करके घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **MSME का निर्यात से एकीकरण :** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को आसान निर्यात ऋण, गुणवत्ता प्रमाणन तथा डिजिटल व्यापार मंचों तक बेहतर पहुँच उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- **मुक्त व्यापार समझौतों का प्रभावी उपयोग :** निर्यातकों को मूल स्थान संबंधी नियमों का लाभ उठाकर रियायती शुल्क प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारत में मुक्त व्यापार समझौतों के उपयोग की दर अभी भी कम है।
- **नए बाजारों का विस्तार :** ऋण सहायता तथा रुपये में व्यापार निपटान की व्यवस्था के माध्यम से अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के बाजारों में भारत की उपस्थिति को अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- **सेवाओं एवं वस्तुओं के निर्यात में समन्वय:** भुगतान संतुलन को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सेवाओं के व्यापार अधिशेष को विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के साथ समन्वित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत का निर्यात आधार विभिन्न क्षेत्रों एवं उत्पाद श्रेणियों में विस्तारित हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंजीनियरिंग वस्तुओं की प्रमुख भूमिका है। हालाँकि, इस वृद्धि को दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में परिवर्तित करने के लिए घरेलू मूल्य संवर्धन, MSME की भागीदारी तथा लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना आवश्यक है। साथ ही, भू-राजनीतिक झटकों के प्रति निर्यात क्षेत्र की सहनशीलता एवं अनुकूलन क्षमता को भी सुदृढ़ बनाना होगा।

स्रोत: PIB

संक्षिप्त समाचार

सत्रावसान

समाचारों में

- संसद का मानसून सत्र 100 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सत्रावसित नहीं किया गया है तथा सरकार द्वारा किसी विशेष बैठक की घोषणा भी नहीं की गई है।

सत्रावसान

- संविधान का अनुच्छेद 85 संसद के सदनों के आह्वान एवं सत्रावसान का प्रावधान करता है।
  - 'प्रोरोग' का तात्पर्य संसद के किसी सत्र की समाप्ति से है। सामान्यतः यह दोनों सदनों की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के कुछ दिनों के अंदर होता है।
    - **अनिश्चित काल के लिए स्थगन :** इसका अर्थ संसद की किसी बैठक को आगामी बैठक की तिथि निर्धारित किए बिना अनिश्चित अवधि के लिए स्थगित करना है।
  - संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आहूत करता है।
    - संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।
  - अनुच्छेद 85(2) राष्ट्रपति को समय-समय पर संसद के दोनों सदनों अथवा किसी एक सदन का सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है।

क्या आप जानते हैं?

- अनुच्छेद 85 संसद का सत्र आहूत करने के लिए किसी न्यूनतम पूर्व सूचना अवधि का उल्लेख नहीं करता है, हालाँकि परंपरागत रूप से 14 दिन की पूर्व सूचना का पालन किया जाता है।
  - हालाँकि, लोकसभा के नियम 15 तथा राज्यसभा के तत्संबंधी नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष एवं सभापति को अपने-अपने सदनों की बैठक पुनः बुलाने का अधिकार है, बशर्ते सदनों का सत्रावसान न हुआ हो। ऐसी बैठकें अल्प सूचना पर, यहाँ तक कि दो दिनों के भीतर भी बुलाई जा सकती हैं।

स्रोत: TH

शेनझेन घोषणा

समाचारों में

- अमेरिका, चीन एवं रूस ने प्रथम बार आयोजित त्रिपक्षीय नेताओं के शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त 'शांति की दिशा में घोषणा' जारी की। यह सम्मेलन APEC शिखर सम्मेलन के अवसर पर चीन के शेनझेन शहर में आयोजित किया गया।

परिचय

- यह एक राजनीतिक आशय की घोषणा है, न कि कोई संधि। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है तथा इसमें कोई समय-सीमा अथवा संख्यात्मक प्रतिबंध निर्धारित नहीं किए गए हैं।

घोषणा के चार प्रमुख बिंदु

- **परमाणु जोखिम :** घोषणा में पुनः पुष्टि की गई है कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही कभी लड़ा जाना चाहिए। तीनों शक्तियाँ परमाणु जोखिमों को कम करने तथा परमाणु प्रसार को रोकने के लिए संवाद करेंगी।
- **ऊर्जा स्थिरता :** पश्चिम एशिया में उत्पन्न व्यवधानों की पृष्ठभूमि में तीनों देशों ने ऊर्जा आपूर्ति के स्थिर प्रवाह तथा परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन एवं आपूर्ति में वृद्धि का समर्थन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- **संयुक्त राष्ट्र में सुधार :** तीनों देश संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि वह वर्तमान समय की चुनौतियों एवं खतरों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सके।
- **अंतरराष्ट्रीय कानून :** घोषणा में राज्यों की सहमति तथा राज्य अधिकारियों को प्राप्त प्रतिरक्षा के महत्त्व पर बल दिया गया है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जैसी संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई है।

महत्त्व

- **न्यू START संधि के बाद की स्थिति :** अमेरिका एवं रूस के बीच अंतिम शस्त्र नियंत्रण संधि 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई, जिसके परिणामस्वरूप रणनीतिक परमाणु आयुधों पर कोई बाध्यकारी सीमा नहीं रह गई है। यह घोषणा कूटनीतिक संवाद का अवसर प्रदान करती है, हालाँकि इसमें कोई बाध्यकारी उपाय शामिल नहीं हैं।
- **वार्ता में चीन की भागीदारी :** यह पहल बढ़ते परमाणु शस्त्रागार वाले चीन को प्रथम बार अमेरिका एवं रूस के साथ परमाणु संबंधी वार्ता में शामिल करती है।
- **प्रतीकात्मक महत्त्व:** तीनों देशों के नेता इससे पहले कभी एक साथ इस प्रकार नहीं मिले थे। यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब यूक्रेन युद्ध एवं ईरान संघर्ष जारी हैं।

सीमाएँ एवं आलोचनाएँ

- परमाणु आयुधों की संख्या पर कोई सीमा, सत्यापन तंत्र अथवा समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए आलोचक इसे केवल प्रतीकात्मक पहल मानते हैं।
- ICC से संबंधित प्रावधान विवादास्पद होने की संभावना है, क्योंकि ICC ने कुछ नेताओं के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं तथा इन देशों के कुछ सहयोगी देशों से संबंधित मामलों की जाँच एवं सुनवाई की है।
- यूरोपीय देशों को इस बैठक में शामिल नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, कुछ यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के संबंध में अपनी स्थिति पर चर्चा करने के लिए बर्लिन में अलग बैठक की।

स्रोत: TH

राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान

संदर्भ

- भारत ने राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 1 करोड़ टीके की खुराक देने का आँकड़ा पार कर लिया है। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए निर्धारित 1.20 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य का लगभग 87% प्राप्त कर लिया गया है।

राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के बारे में

- **HPV टीका :** यह एक निवारक, गैर-संक्रामक पुनःसंयोजक टीका है, जो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए उत्तरदायी उच्च जोखिम वाले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है।
- **शुभारंभ:** इस अभियान का शुभारंभ 28 फरवरी 2026 को राजस्थान के अजमेर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत किया गया।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य HPV के संभावित संक्रमण से पहले ही लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करना, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम करना तथा WHO की गर्भाशय ग्रीवा कैंसर उन्मूलन रणनीति को समर्थन देना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **निःशुल्क एकल खुराक :** अभिभावक अथवा संरक्षक की सहमति से स्वैच्छिक एवं निःशुल्क एकल खुराक का टीकाकरण किया जाता है।
- **लक्षित समूह :** 14 वर्ष की आयु की लड़कियाँ, अर्थात् 15 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले की लड़कियाँ। प्रतिवर्ष लगभग 1.20 करोड़ लाभार्थियों के पात्र होने की संभावना है।
- **प्रयुक्त टीका :** गार्डासिल-4 चतुर्संयोजी टीके का उपयोग किया जाता है, जो HPV के प्रकार 6, 11, 16 एवं 18 से सुरक्षा प्रदान करता है।
- **डिजिटल निगरानी :** पंजीकरण, सहमति, टीकाकरण अभिलेख एवं प्रमाणपत्रों का प्रबंधन U-WIN प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है।

महत्त्व

- **गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम :** HPV टीकाकरण उच्च जोखिम वाले HPV प्रकारों के कारण होने वाले गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम में सहायक है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य :** यह भारत की निवारक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को सुदृढ़ करता है तथा भविष्य में कैंसर के बोझ को कम करने में सहायक है।
- **समानता:** निःशुल्क टीकाकरण से ग्रामीण एवं स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्षेत्रों की लड़कियों तक टीकाकरण की पहुँच बेहतर होती है।
- **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज :** यह निवारक स्वास्थ्य सेवाओं तक समानतापूर्ण पहुँच को बढ़ावा देता है तथा वित्तीय बाधाओं को कम करता है।
- **वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति :** यह WHO की गर्भाशय ग्रीवा कैंसर उन्मूलन रणनीति में योगदान देता है।

स्रोत: AIR

रीमान परिकल्पना

समाचारों में

- एंथ्रोपिक के गणितज्ञ लेवेंट अल्पोगे ने घोषणा की है कि उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडल क्लॉड की सहायता से रीमान परिकल्पना का प्रमाण विकसित किया है।

रीमान परिकल्पना

- रीमान परिकल्पना एक गणितीय सिद्धांत है, जिसे गणितज्ञ बर्नहार्ड रीमान ने वर्ष 1859 में प्रस्तुत किया था। यह मुख्य रूप से अभाज्य संख्याओं के वितरण की प्रकृति को समझाने का प्रयास करती है।
- **अभाज्य संख्या प्रमेय , 1896:** यह प्रमेय किसी निर्दिष्ट पूर्णांक से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या का अनुमान प्रदान करता है, किंतु उनके वितरण की सटीक व्याख्या नहीं करता।
- रीमान ने अभाज्य संख्याओं के वितरण में होने वाले उतार-चढ़ाव को रीमान जीटा फलन से संबद्ध किया तथा प्रतिपादित किया कि इस फलन के सभी गैर-तुच्छ शून्यकों का वास्तविक भाग 1/2 होता है।

संबंधित घटनाक्रम

- रीमान परिकल्पना को अभी तक आधिकारिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका है।
- गणितज्ञ लेवेंट अल्पोगे ने एंथ्रोपिक के AI मॉडल क्लॉड की सहायता से इसे सिद्ध करने का दावा किया है तथा 1.7 करोड़ से अधिक पंक्तियों वाला कंप्यूटर कोड जारी किया है।
- स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के गणितज्ञ एलेसांद्रो मासुल्लो ने 12 वर्षों के शोध पर आधारित एक व्यापक प्रमाण का दावा करते हुए 940 पृष्ठों की पांडुलिपि जारी की। हालाँकि, कई गणितज्ञों ने इसमें संभावित त्रुटियों की पहचान की है।
  - क्ले गणित संस्थान द्वारा किसी प्रमाण को आधिकारिक रूप से स्वीकार किए जाने के लिए उसका प्रकाशित होना, कम-से-कम दो वर्षों तक गणितज्ञों के बीच व्यापक स्वीकृति प्राप्त करना तथा विशेषज्ञों की अतिरिक्त जाँच से गुजरना आवश्यक है।
    - अतः रीमान परिकल्पना अभी भी एक अनसुलझी गणितीय समस्या बनी हुई है।

स्रोत: TH

भारत द्वारा लिथियम-आयन बैटरी के ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध

समाचारों में

- विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने भारत की निर्यात नीति के अंतर्गत लिथियम-आयन बैटरी के ब्लैक मास को 'मुक्त' श्रेणी से हटाकर 'प्रतिबंधित' श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है।

ब्लैक मास क्या है?

- ब्लैक मास एक गहरे रंग का पाउडर है, जो प्रयुक्त लिथियम-आयन बैटरियों एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को छोटे टुकड़ों में काटने तथा प्रसंस्कृत करने के बाद प्राप्त होता है।
- इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज एवं ग्रेफाइट जैसे मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं।
  - **NMC बैटरियाँ (निकेल-मैंगनीज-कोबाल्ट):** इन बैटरियों से अधिक मूल्यवान निकेल एवं कोबाल्ट प्राप्त होते हैं।
  - **LFP बैटरियाँ (लिथियम आयरन फॉस्फेट):** वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) एवं ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में इनका व्यापक उपयोग होता है। इनमें मुख्यतः लौह एवं फॉस्फेट पाए जाते हैं, इसलिए इनके पुनर्चक्रण से अपेक्षाकृत कम लाभ प्राप्त होता है।

इसका विनियमन कैसे किया जाता है?

- ब्लैक मास को खतरनाक अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अतः इसके सीमा-पार आवागमन को बेसल अभिसमय, 1989 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।
- भारत में इसका विनियमन खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन तथा सीमापार आवागमन) नियम, 2016 के माध्यम से किया जाता है।

खनिजों की पुनर्प्राप्ति कैसे की जाती है?

- इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट एवं प्रयुक्त बैटरियों से मूल्यवान खनिजों की पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया को शहरी खनन कहा जाता है।
- **पायरोमेटलर्जी :** इस प्रक्रिया में उच्च तापमान पर प्रगलन के माध्यम से निकेल, कोबाल्ट एवं तांबे की पुनर्प्राप्ति की जाती है। हालाँकि, इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा लिथियम का एक बड़ा हिस्सा प्रायः स्लैग (अपशिष्ट अवशेष) में नष्ट हो जाता है।
- **हाइड्रोमेटलर्जी:** इस प्रक्रिया में रासायनिक निक्षालन के माध्यम से बैटरी-ग्रेड यौगिकों, जैसे लिथियम हाइड्रॉक्साइड एवं निकेल सल्फेट की पुनर्प्राप्ति की जाती है। इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की खपत के साथ अधिक खनिज पुनर्प्राप्ति संभव है। नीति आयोग भी इस पद्धति को प्राथमिकता देता है।

प्रतिबंध क्यों लगाया गया?

- **कच्चे माल को देश में बनाए रखना :** घरेलू पुनर्चक्रण उद्योगों को अपनी पूर्ण क्षमता से संचालित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ब्लैक मास उपलब्ध कराना।
- **भारत में मूल्य संवर्धन :** पुनर्चक्रित उत्पादों का उपयोग बैटरी विनिर्माण में करना तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था में रोजगार एवं निवेश के अवसर सृजित करना।
- **आयात पर निर्भरता कम करना :** भारत लिथियम, कोबाल्ट, निकेल एवं दुर्लभ मृदा तत्त्वों के लिए लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर है। चीन का वैश्विक महत्त्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण में लगभग 90% नियंत्रण है तथा वह निर्यात प्रतिबंधों का उपयोग रणनीतिक दबाव के साधन के रूप में करता रहा है।
- **वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप कदम :** अन्य अर्थव्यवस्थाएँ भी महत्त्वपूर्ण खनिजों से युक्त अपशिष्ट को घरेलू स्तर पर बनाए रखने की दिशा में कदम उठा रही हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

- निर्यात प्रतिबंध से घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी, किंतु भारत को उन्नत शोधन क्षमता तथा व्यावसायिक रूप से लाभकारी खनिज पुनर्प्राप्ति प्रणालियों का भी विकास करना होगा।

- पुनर्चक्रण प्रक्रिया को स्वच्छ एवं सतत बनाने के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्रोत्साहन तथा सुदृढ़ पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।

स्रोत: IE

वायुमंडलीय कार्बनिक नाइट्रोजन

समाचारों में

- एक अध्ययन में पाया गया है कि प्रतिवर्ष लगभग 12.8 मिलियन टन कार्बनिक नाइट्रोजन (ON) विश्व के महासागरों में निक्षेपित होती है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन के कुल निक्षेपण का लगभग 27% है।

नाइट्रोजन

- नाइट्रोजन आवर्त सारणी के समूह 15 [VA] का एक अधात्विक तत्त्व है।
- यह रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है तथा पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है।
- यह सभी जीवित पदार्थों का एक प्रमुख घटक है।
- **पृथ्वी पर नाइट्रोजन के विभिन्न रूप एवं स्रोत:**
  - **वायुमंडल:** पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के आधार पर लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। इस कारण यह औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है।
  - **विभिन्न यौगिक :** नाइट्रोजन वायुमंडल में अमोनिया एवं अमोनियम लवणों के रूप में पाई जाती है।
    - इसके अतिरिक्त, यह वर्षा जल एवं मिट्टी में तथा समुद्री जल में अमोनियम, नाइट्राइट एवं नाइट्रेट आयनों के रूप में उपस्थित रहती है।
  - **खनिज निक्षेप :** नाइट्रोजन नाइटर अथवा शोरा (पोटैशियम नाइट्रेट) तथा चिली शोरा (सोडियम नाइट्रेट) जैसे खनिज निक्षेपों में भी पाई जाती है। हालाँकि, ये मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
  - **कार्बनिक पदार्थ :** नाइट्रोजन जीवित जीवों में पाए जाने वाले प्रोटीन का एक प्रमुख घटक है।
  - **स्थिर नाइट्रोजन :** प्रकृति में आकाशीय विद्युत तथा पराबैंगनी किरणों के माध्यम से नाइट्रोजन का नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में स्थिरीकरण होता है। हालाँकि, नाइट्रोजन का अधिक महत्त्वपूर्ण स्थिरीकरण मृदा के सूक्ष्मजीवों द्वारा अमोनिया, नाइट्राइट एवं नाइट्रेट के रूप में किया जाता है।
- **नवीनतम अध्ययन:**
  - यह अध्ययन समुद्री उत्पादकता को बनाए रखने में वायुमंडलीय कार्बनिक नाइट्रोजन के महत्त्व को रेखांकित करता है।
  - यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने में इसकी भूमिका को स्पष्ट करता है।
  - इसके अतिरिक्त, यह संभावित रूप से जलवायु को प्रभावित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

स्रोत :Science